

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत जनपद के समस्त ग्रामीण परिवारों को नियमित/निर्बाध जलापूर्ति उपलब्ध कराना तथा जनसुनाई/आई0जी0आर0एस0/जे0जे0एम0 पोर्टल पर पेयजल आपूर्ति से सम्बन्धित प्राप्त हो रही शिकायतों का समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु कार्यदायी संस्थाओं के राज्य प्रमुख (स्टेट हेड) की उपस्थिति में आहूत समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त

अध्यक्षता : जिलाधिकारी, मीरजापुर।

तिथि : 12.08.2026

समय : मध्याह्न 01:00 बजे

स्थान/माध्यम : कलेक्ट्रेट कक्ष, मीरजापुर।

उपस्थिति : अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, मीरजापुर।

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, 30प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर।

श्री श्याम बचन, सहायक अभियन्ता, 30प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर।

समस्त राज्य प्रमुख (स्टेट हेड) कार्यदायी संस्था, जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट।

समस्त परियोजना प्रबन्धक, कार्यदायी संस्था, जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट।

श्री शशांक शेखर, सपोर्ट इंजीनियर, पी0एम0सी0, मीरजापुर।

- : बैठक का मुख्य उद्देश्य एवं ऐजेण्डा :-

जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत बैठक का मुख्य उद्देश्य कार्यदायी संस्थाओं के निर्णय लेने में सक्षम राज्य प्रमुखों (स्टेट हेड) के साथ जनपद में संचालित पेयजल योजनाओं की प्रगति समीक्षा करना एवं आक्रमक रणनीति बनाकर अवशेष कार्यों को त्वरित गति से पूर्ण कराना था। जिसके अनुक्रम में निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गई :-

- डी0पी0आर0 क्षेत्र के अन्तर्गत शत-प्रतिशत जलापूर्ति कराना।
- मा0 जन प्रतिनिधियों/विधायकों के भ्रमण में पायी गयी कमियों का तत्काल निस्तारण।
- समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों/प्राथमिक विद्यालयों/पंचायत भवनों/तहसीलों/विकास खण्ड कार्यालयों/ प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/थाना एवं धार्मिक स्थलों इत्यादि स्थानों पर शत-प्रतिशत नल कनेक्शन कराया जाना।
- समस्त अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने की समय सीमा निर्धारण।

बिन्दुवार समीक्षा एवं अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दिये गये निर्देश :-

क्रमांक	समीक्षा का विषय	बैठक के दौरान दिये गये निर्देश
1	2	3
1.	क्षतिग्रस्त पाइप लाईन व नियमित जलापूर्ति।	सर्वप्रथम समीक्षा के दौरान समस्त कार्यदायी संस्थाओं के राज्य प्रमुखों को बताया गया कि आपकी संस्थाओं द्वारा बिछयी गई पाइप लाइन निर्धारित गहराई/मानक के अनुसार नहीं बिछयी गया है जिसके कारण अन्य विभागों द्वारा रोड रेस्टोरेशन, सीवरेंज योजना व अन्य कार्यों के तहत निरन्तर जल जीवन मिशन की पाइप लाईन को क्षतिग्रस्त किये जाने की सूचना से अवगत कराया जा रहा है। क्षतिग्रस्त पाइप लाइन

		को नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उसे पुनः ठीक करना व नियमित जलापूर्ति कराना कार्यदायी संस्था जिम्मेदारी है। जिन-जिन स्थानों पर जल जीवन मिशन की पाइप लाईन को अन्य विभागों द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है उन स्थलों पर तत्काल प्रभाव से मैनपावर/मशीनरी में वृद्धि करते हुए पाइल लाईन का मरम्मत/नवनिर्माण कराते हुए शत-प्रतिशत जलापूर्ति कराना सुनिश्चित कराये, इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। साथ ही साथ उक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत डी0पी0आर0 के अनुसार समस्त राजस्व ग्रामों में जलापूर्ति शत-प्रतिशत हो रहा है अथवा नहीं? इसकी स्वयं समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्थाओं के परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित करें कि स्वीकृत डी0पी0आर0 के अनुसार राजस्व ग्रामों में निर्बाध रूप से जलापूर्ति हो सके।
2.	विधायकों के स्थलीय निरीक्षण में पायी गई कमियों के सम्बन्ध में कार्यवाही।	मा0 विधायकगणों द्वारा कार्यदायी संस्थाओं की स्वेच्छानुसार शत-प्रतिशत संतृप्त जलापूर्ति वाले राजस्व ग्रामों का स्थलीय निरीक्षण किया गया था। परन्तु निरीक्षण के दौरान उन ग्रामों में शत-प्रतिशत जलापूर्ति न होना व रोड रेस्टोरेशन से सम्बन्धित अनेको कमियां पायी गई। तद्वक्त में समस्त कार्यदायी संस्थाओं के राज्य प्रमुखों को सख्त निर्देश दिया जाता है कि मा0 विधायकगणों के भ्रमण/निरीक्षण के दौरान पायी गई समस्त कमियों/त्रुटियों को तत्काल प्रभाव से निस्तारण कराया जाए तथा कृत कार्यवाही की अद्यतन आख्या अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति कार्यालय में 03 दिवस के अन्दर प्रत्येक दशा में उपलब्ध करा दिया जाए।
3.	टैप कनेक्शन की गुणवत्ता एवं ग्राउण्डिंग	समीक्षा के दौरान समस्त कार्यदायी संस्थाओं के राज्य प्रमुखों को अवगत कराया गया कि मे0 मेघा इंजीनियरिंग की तालर ग्राम समूह पेयजल योजना अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण के दौरान नल कनेक्शन की ग्राउण्डिंग न किये जाने के कारण नल हिलते हुए पाये गये, जो कार्यों में घोर लापरवाही का प्रतीत है। तद्वक्त में समस्त कार्यदायी संस्थाओं के राज्य प्रमुखों को निर्देशित किया जाता है कि दिए गये नल कनेक्शनों का निरीक्षण कराते हुए प्रत्येक नल कनेक्शन को मानक के अनुसार ग्राउण्डिंग करा दिया जाए, ताकि वे पूर्णतः स्थिर रहें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही पाये जाने पर सम्बन्धित संस्था के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
4.	संचालन एवं रखरखाव हेतु प्रर्याप्त मानव संसाधन एवं पम्प आपरेटरों की तैनाती।	समीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त योजना के संचालन एवं रखरखाव हेतु लगाई गई टीम निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष नहीं है। प्रत्येक योजनाओं पर अपेक्षित मैनपावर/मशीनरी की कमी है। एक-एक पम्प आपरेटरों को 10-12 गाँवों में जलापूर्ति कराये जाने हेतु रखा गया है जो कदापि एक ही समय पर प्रत्येक गाँव में जलापूर्ति नहीं कर सकते हैं। यद्यपि किसी एक ग्रामों में विद्युत/तकनीकी फाल्ट होने की स्थिति में आपरेटर वही उलझा रह जाता है, जिससे अन्य ग्रामों की जलापूर्ति बाधित होती है। यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक व स्वीकार योग्य नहीं है। तद्वक्त में समस्त कार्यदायी संस्थाओं के राज्य प्रमुखों को स्पष्ट रूप से अन्तिम चेतवानी के साथ निर्देशित किया जाता है कि मानकों के अनुरूप योजना के संचालन एवं रखरखाव हेतु प्रर्याप्त मात्रा में मानव संसाधन/पम्प आपरेटरों/प्लम्बरो की तत्काल तैनाती की जाए तथा इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि प्रत्येक पम्प आपरेटर को 02 से अधिक गाँव कदापि आवंटित न होने पाए। जिससे सम्बन्धित राजस्व ग्रामों में नियमित रूप से जलापूर्ति किये जाने में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो सके।

5.	समस्त सार्वजनिक स्थानों पर नल कनेक्शन कराया जाना	समीक्षा के दौरान समस्त कार्यदायी संस्थाओं के राज्य प्रमुखों को अन्तिम चेतावनी के साथ निर्देशित किया जाता है कि समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों/प्राथमिक विद्यालयों/पंचायत भवनों/तहसीलों/विकास खण्ड कार्यालयों/प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/थाना एवं धार्मिक स्थलों इत्यादि स्थानों पर शत-प्रतिशत नल कनेक्शन कराना सुनिश्चित करें तथा इसी विस्तृत रिपोर्ट/सूची विकास खण्डवार अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) तथा अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति कार्यालय में उपलब्ध कराये, इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
6.	ओ०एण्ड०एम० अवधि में योजनाओं का शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण न होना तथा जल सारथी ऐप की समीक्षा।	समीक्षा के दौरान पाया गया कि जल जीवन मिशन से सम्बन्धित समस्त कार्यदायी संस्थाओं को आवंटित ग्राम समूह पेयजल योजना ओ०एण्ड०एम० अवधि में प्रवेश किये लगभग ०२ वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी धरातल पर १०० प्रतिशत कार्य पूर्ण नहीं हुआ है जबकि जल सारथी ऐप पर १३६९ राजस्व ग्रामों १०० प्रतिशत कार्य पूर्ण प्रदर्शित किया जा रहा है। जल सारथी ऐप फीड किये गये रिपोर्ट एवं स्थलीय/भौतिक प्रगति में विरोधाभास काफी खेद का विषय है। समस्त राज्य प्रमुखों को सख्त निर्देश दिया जाता कि प्रत्येक दशा में धरातल पर १०० प्रतिशत कार्य पूर्ण करा दिया जाए। उक्त कार्य हेतु समस्त संस्थाओं के राज्य प्रमुख अपनी-अपनी विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) तथा अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति कार्यालय में ०३ दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
7.	विद्युत कनेक्शन हेतु स्वतंत्र फीडर का कार्य (कार्यदायी संस्था एन०सी०सी०)	समीक्षा के दौरान कार्यदायी संस्था एन०सी०सी० लिमिटेड के राज्य प्रमुख को अवगत कराया गया कि अहुंगी कलॉ पेयजल योजनाओं की शिकायतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस सम्बन्ध में संस्था के राज्य प्रमुख द्वारा बताया गया कि अहुंगी कलॉ ग्राम समूह पेयजल योजना पर विद्युत की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जिसके निस्तारण हेतु स्वतंत्र फीडर लगाने हेतु विद्युत विभाग को भुगतान किया जा चुका है किन्तु स्वतंत्र फीडर न होने के कारण विद्युत समस्या वर्तमान में बहुत ज्यादा उत्पन्न हो गयी है जिसकी वजह से जलापूर्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है। सम्बन्धित विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम के स्तर पर कार्यवाही लम्बित है। विद्युत की समस्या का समाधान होने पर अहुंगी कलॉ योजना के तहत नियमित/निर्बाध जलापूर्ति पूर्व की भांति पुनः सुचारु रूप से करा दिया जाएगा। समीक्षा के दौरान अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, मीरजापुर द्वारा बताया गया कि विद्युत विभाग के अधिशासी अभियन्ता से दूरभाष पर वार्ता किया जा चुका है। एक सप्ताह के अन्दर टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण कराकर कार्य प्रारम्भ करा देने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम द्वारा आश्वस्त कराया गया है। तदक्रम में राज्य प्रमुख/परियोजना प्रबन्धक, कार्यदायी संस्था एन०सी०सी० लिमिटेड को निर्देशित किया गया कि स्वतंत्र फीडर की प्रक्रिया में एक सप्ताह के व्यतीत होने के उपरान्त किसी भी प्रकार की समस्या या विलम्ब होता है तो तत्काल अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, मीरजापुर तथा अधिशासी अभियन्ता (वि०/यों०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र को अवगत कराया जाए, ताकि उच्च स्तर पर वार्ता कर इसका निस्तारण कराया जा सके।

8.	चील्ह से गोपीगंज मार्ग पर पाइप लाइन बिछाने का कार्य (कार्यदायी संस्था जी0ए0 इन्फ्रा)	समीक्षा के दौरान कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 के द्वारा सड़क चौड़ीकरण कराये जाने के उपरान्त 30प्र0 जल निगम (ग्रामीण) व कार्यदायी संस्था के साथ संयुक्त निरीक्षण के बाद जल जीवन मिशन की पाइप लाइन बिछाने के लिए जो रूट तय किया गया है उसमें से विभिन्न स्थलों पर कई रिहायशी मकान व विशाल वृक्ष आने से बाधा उत्पन्न हो रही है। तदक्रम में कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबन्धक के उक्त कथन पर रोष व्यक्त करते हुए अधिशासी अभियन्ता, 30प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को सुस्पष्ट निर्देशित किया गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा जो रूट फाइनल कर दिया गया है उस रूट जहाँ-जहाँ रिहायशी मकान/विशाल वृक्ष व अन्य संरचनाएँ आ रही हैं वहाँ ट्रेन्चलेस तकनीक का उपयोग करते हुए तत्काल पाइप लाइन बिछाये जाने की कार्यवाही पूर्ण करायी जाए। इस कार्य में किसी भी प्रकार का विलम्ब अथवा बहाना कदापि स्वीकार योग्य नहीं है।
9.	चुनार नगर पालिका क्षेत्र अन्तर्गत स्थित मजरा के 300 परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सर्वे (कार्यदायी संस्था मेघा इंजीनियरिंग)	समीक्षा के दौरान कार्यदायी संस्था, मेघा इंजीनियरिंग के राज्य प्रमुख को अवगत कराया गया कि चुनार नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत एक मजरा ऐसा है, जिसके मुख्य मार्ग से जल जीवन मिशन की पेयजल पाइप लाइन गुजरी है किन्तु मजरे के लगभग 300 परिवार पेयजल आपूर्ति से वंचित हैं। ऐसी स्थिति में यदि सम्भव हो, तो कार्यदायी संस्था एवं अधिशासी अभियन्ता, 30प्र0 जल निगम (ग्रामीण) उक्त नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले मजरे एक बार संयुक्त सर्वे व तकनीकी परीक्षण कर लें। यदि तकनीकी रूप से सम्भावना बनती है तो मुख्य मार्ग से गुजर रही जल जीवन मिशन की पाइप लाइन को ज्वाइन्ट करते हुए वहाँ स्थित लगभग 300 घरों को जलापूर्ति से आच्छादित करा दिया जाए। इस सम्बन्ध में कार्य सम्भव है अथवा नहीं? तत्काल अवगत कराना सुनिश्चित करें।
10.	कार्यदायी संस्थाओं की प्रतिबद्धता (अन्तिम समय सीमा)	समीक्षा के दौरान उपस्थित कार्यदायी संस्थाओं के राज्य प्रमुख/परियोजना प्रबन्धकों से जल जीवन मिशन योजना के तहत अवशेष समस्त कार्यों को शत-प्रतिशत पूर्ण करने की अन्तिम तिथि पूछे जाने पर कार्यदायी संस्थाओं के राज्य प्रमुखों द्वारा आश्वस्त एवं प्रतिबद्धता व्यक्त की गई कि समस्त अवशेष कार्य 15 सितम्बर, 2026 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करा दिया जायेगा। तदक्रम में समस्त कार्यदायी संस्थाओं के राज्य प्रमुखों को अन्तिम चेतावनी के साथ निर्देशित किया जाता है कि एक माह के उपरान्त पुनः समीक्षा बैठक आयोजित की जायेगी। उक्त बैठक में समस्त संस्था अपने-अपने द्वारा पूर्ण किये गये कार्यों की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट लेकर स्वयं उपस्थित होंगे तथा अधिशासी अभियन्ता, 30प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को भी निर्देशित किया जाता है कि समस्त योजनाओं/ग्रामों की विस्तृत प्लान/विवरण बनाकर उपस्थित होंगे तथा यह सुनिश्चित करायेंगे कि वर्तमान में कौन-कौन से कार्य किस-किस संस्था के अधूरे बचे हैं और उन्हें कैसे पूर्ण कराया जायेगा।
11.	लपरवाही पर ब्लैकलिस्टिंग एवं विधिक कार्यवाही	अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, मीरजापुर व अधिशासी अभियन्ता, 30प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर को निर्देशित किया जाता है कि बार-बार निर्देशित किये जाने के बावजूद भी जिस कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया जा रहा है अथवा यह कथन किया जा रहा है कि रोड डैमेज होने, पथरीला क्षेत्र होने व कोई अन्य कारण होने से पानी नहीं पहुँच रहा है तो उन कार्यदायी संस्थाओं को स्पष्ट करा दिया जाए कि जल जीवन मिशन योजना के तहत जितना डी0पी0आर0 एरिया है वहा पर पानी किसी भी दशा में

		पहुचाना कार्यदायी संस्था की जिम्मेदारी है। कार्यदायी संस्थाएँ डी0पी0आर0 क्षेत्र की जानकारी करते हुए प्रत्येक गाँव/मजरे/गली में रोस्टर के अनुसार निर्बाध जलापूर्ति कराने हेतु Undertaking प्राप्त किया जाए तथा जरूरत पड़ने पर 03 दिव्दुओं प्रभावी कार्यवाही किया जाए। • कम्पलीशन निरस्तीकरण की संस्तुति। • Blacklisting की संस्तुति। • राजकीय कोष का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) दर्ज करायी जाए।
12.	जनसुनवाई/आई0जी0आर0एस0/जे0जे0एम0 पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायत	समीक्षा के दौरान उपरिस्थित कार्यदायी संस्थाओं के राज्य प्रमुख/परियोजना प्रबन्धको को फटकार लगाते हुए निर्देशित किया गया कि जनसुनवाई/आई0जी0आर0एस0/जे0जे0एम0 पोर्टल पर प्राप्त होने वाली समस्त शिकायतों के सम्बन्ध में भौतिक रूप से स्थलीय निरीक्षण करते/कराते हुए शिकायतों को समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराना सुनिश्चित करें, इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि पेयजल एक अत्यन्त संवेदनशील और आवश्यक विषय है। इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता, लापरवाही या झूठी रिपोर्टिंग पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी/अभियन्ता/कार्यदायी संस्था के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं में कठोर अनुशासनात्मक व विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(पवन कुमार गंगवार)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

पत्रांक- 1145 /आ0लि0-नमामि गंगे-2026

दिनांक 17 अगस्त, 2026

---000---

प्रतिलिपि-

- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।
1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
 2. आयुक्त, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
 3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।

निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, मीरजापुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर।
3. टीम लीडर, पी0एम0सी0टी0पी0आई0, मीरजापुर।
4. समस्त राज्य प्रमुख (स्टेट हेड) कार्यदायी संस्था, जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट।
5. समस्त परियोजना प्रबन्धक, कार्यदायी संस्था, जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट, मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।